न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी - मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/170

सरवण कुमार उर्फ श्रवण कुमार जंगम पुत्र सूरजमल जाति नाथ निवासी ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

1. मदनलाल पुत्र सूरजमल जाति नाथ
2. शम्भूदयाल पुत्र सूरजमल जाति नाथ
3. मन्जू पुत्री सूरजमल जाति नाथ
4. पार्वती पुत्री सूरजमल जाति नाथ(डिलीट)
   निवासीगण ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
3. श्री दयानन्द राठौर, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 से 3 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 16.09.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 65/2022 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नं0 252 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 497 की 0.39 हैक्टर कुल दो किता की 0.42 हेक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण नं० 1 ता 4 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी खाता सं० 199 सम्वत् 2075 से 2078 पेश है। उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है जिसमें से प्रतिवादी नं0 4 द्वारा अपने 1/5 हिस्से की भूमि की रिलीज डीड वादी के पक्ष में दिनाक 13–4–2022 को पंजीयन करवा दी। जिससे वादी 2/5 हिस्से का घोषित होने का अधिकारी है। इस प्रकार उक्त भूमि में वादी 2/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहा है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

आ रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण नं० 1 ता 3 आये दिन वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर व बिना विभाजन के उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि को बिना आबादी में कन्वर्ट कराये भूखण्ड काट कर बेचान करने पर आमादा है, इस कारण वादी ने प्रतिवादी गण को उक्त भूमि का विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये और प्रतिवादीगण ने बिना विभाजन के भूमि को अथवा उसके प्लाट काट कर बेचान करने व बैदखल करने की दिनांक 22–5–2022 को धमकी दी। यदि प्रतिवादी गण को उक्त अवैध कृत्य करने से नहीं रोका गया तो वादी का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। उपरोक्त परिस्थिती में वादी के लिये प्रतिवादीगण के खिलाफ विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण वादी द्वारा प्रतिवादी गण से बिना विभाजन कराये भूमि को रहन बेचान नहीं करने की कहने पर दिनांक 22–05–22 को वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर उक्त भूमि को अथवा बिना आबादी में कन्वर्ट कराये प्लाट काट कर बिना विभाजन के रहन बेचान व अन्तरण करने की धमकी देने पर पैदा हुआ। भूमि की लेण्ड होल्डर प्रतिवादी नं० 5 राजस्थान सरकार होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नं० 4 द्वारा उसके हिस्से की भूमि का हक त्याग वादी के हक में कर दिया है किन्तु इंतकाल अभी तक नहीं खुलने से व राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 4 का नाम दर्ज होने से उसे फोरमल पक्षकार बनाया गया है। उक्त वाद में मामला अरजेन्ट एंव इमीजिएट रिलीफ से संबंधित है इस कारण प्रतिवादी नं० 5 को वाद पेश करने से पूर्व दो माह का नोटिस धारा 80 जा०दी० के तहत नोटिस नहीं दिया गया है ओर नोटिस की अवधि मुक्ति हेतु धारा 80 (2) सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र अलग से वाद के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। ओर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि– (1). वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित वाके ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद की खसरा नं0 252 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 497 की 0.39 हैक्टर कुल दो किता की 0.42 हेक्टर भूमि में वादी को 2/5 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुये वादी तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 2/5 हिस्से की भूमि को वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने व हिस्से में प्राप्त भूमि पर पत्थर गढी कराये जाने तथा अलग से लगान कायम किये जाने की डिक्री पारित की जावे। तथा प्रतिवादी नं0 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से डिलीट फरमाया जावे। (2). स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण वाके ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद की खसरा नं0 252 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं० 497 की 0.39 हैक्टर कुल दो किता की 0.42 हेक्टर भूमि को अथवा उसके किसी भाग को बिना आबादी में कन्वर्ट कराये प्लानिंग कर प्लाटों को बिना विभाजन के रहन बेचान व खुर्द बुर्द, अन्तरण नहीं करे उक्त भूमि में किसी प्रकार से प्लाट नहीं काटे तथा वादी के हिस्से के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। (3). प्रतिवादी नं0 5 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे। (4). वादी को प्रतिवादीगण से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावे। (5). अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2023 को वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की तथा दिनांक 09.04.2025 को वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीन्स्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को खारिज कर दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टद्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवंउक्त आपत्तियो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आपत्तियां खारिज करदी जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजित प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व न तो कोई नोटिस प्रदान किया और न ही अपीलान्ट की उपस्थिति में कोई बंटवारा प्रस्ताव ही तैयार किया गया, इस प्रकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व इस तथ्य की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की कि अपीलान्ट मौके पर काबिज है। उसके बावजूद भी अपीलान्ट को काबिज से भिन्न जगह बंटवारा प्रस्ताव मे दिये जाने का उल्लेख कर दिया जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुतकी गयी और निवेदन किया कि संयुक्त टीम गठित कर प्रस्ताव रिपोर्ट तैयार करे किन्तु अपीलान्टकी उक्त आपत्ति को दर किनार कर दावा डिक्री कर दिया। जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा अपीलान्टके पक्ष में हकत्याग का पंजीयन करने ओरउक्त हक त्याग के आधार पर रेस्पोडेन्ट का नाम हटादेने से व योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी रेस्पोडेन्ट क्रम 4 का नाम डिलीट करने का आदेश प्रदान करने से डिलीट किया जा रहा है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किए जाने

तथा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई है। अतः अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण के मध्य वादग्रस्त आराजी के रकबे एवं हिस्से को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2023 में वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 20 के अनुसार तैयार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार दीगोद द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार दिनांक 25.05.2024 को तैयार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अपीलांट के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया गया। तहसीलदार दीगोद द्वारा दिनांक 25.11.2024 को पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.11.2024 पर अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। वादी अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.11.2024 पर की गई आपत्ति पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.11.2024 पर की गई आपत्ति को उभयपक्षकारान की बहस सुनकर खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.11.2024 को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.11.2024 प्राथमिक डिक्री की पालना में उभयपक्षकारान के हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में किसी का हिस्सा कम अथवा अधिक दर्ज किया जाना प्रस्तावित नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.11.2024 पर तहसीलदार दीगोद के हस्ताक्षर अंकित है अतः विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार दीगोद द्वारा मोके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.11.2024 पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत की गई आपत्तियों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार निस्तारण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

अपील संख्या 2025/170

सरवण कुमार उर्फ श्रवण कुमार जंगम बनाम मदनलाल वगै0

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद की खसरा संख्या 252 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.39 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर में स्वयं का 2/5 हिस्सा निहित होना बताकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के मध्य वादग्रस्त आराजी का विभाजन किए जाने तथा खाता पृथक से दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद की खसरा संख्या 252, 497 कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर आराजी वादी अपीलांट एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा वादी अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में 2/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा शेष 3/5 हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांट द्वारा केवल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 के विरूद्ध अपील पेश की गई है तथा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा कोई आपत्ति न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः हमारे मत में उभयपक्षकारान के मध्य केवल वादग्रस्त आराजी के मोके पर विभाजन को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय में विभानज प्रस्ताव दिनांक 25.05.2024 पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किए गए आपत्ति प्रार्थना–पत्र में अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.05.2025 में सभी खसरा नम्बरान की भूमि का सभी पक्षकारान के मध्य विभाजन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.05.2025 पर की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने बाबत तहसीलदार दीगोद को आदेशित किया गया। तहसीलदार दीगोद द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव पुनः दिनांक 22.07.2024 को तैयार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.07.2024 पर तहसीलदार दीगोद, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के हस्ताक्षर अंकित है अतः वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.07.2024 स्वयं तहसीलदार द्वारा मोके पर उपस्थित होकर तैयार किया जाना प्रकट होता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.07.2024 पर अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगायत 3 एवं मोतबिरान के हस्ताक्षर अंकित है। अतः प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की उपस्थित में तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.07.2024 में वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक खसरा नम्बर का विभाजन उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार किया जाना प्रकट होता है। पूर्व में तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.05.2025 में खसरा नम्बर 252 का विभाजन नहीं किए जाने तथा खसरा नम्बर 497 के कुछ भाग को संयुक्त खातेदारी में रखे जाने पर अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रकट की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। पश्चातवर्ती तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.07.2024 में वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक खसरा नम्बर का उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किया गया है अतः प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.07.2024 अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाना प्रकट होता है। हमारे मत में प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.07.2024 राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में विधि सम्मत रूप से तैयार किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.07.2024 को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक

खसरा नम्बर की भूमि का उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किए जाने का जो आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 में अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।
?

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 65/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025/170

सरवण कुमार उर्फ श्रवण कुमार जंगम पुत्र सूरजमल जाति नाथ निवासी ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

1. मदनलाल पुत्र सूरजमल जाति नाथ
2. शम्भूदयाल पुत्र सूरजमल जाति नाथ
3. मन्जू पुत्री सूरजमल जाति नाथ
4. पार्वती पुत्री सूरजमल जाति नाथ(डिलीट)
   निवासीगण ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 65/2022

सरवण कुमार उर्फ श्रवण कुमार जंगम आत्मज सूरजमल जाति नाथ निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र सूरजमल जाति नाथ
2. शम्भूदयाल पुत्र सूरजमल जाति नाथ
3. मन्जू पुत्री सूरजमल जाति नाथ
4. पार्वती पुत्री सूरजमल जाति नाथ(डिलीट)
   निवासीगण ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

—प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 65/2022 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2025 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 16.09.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री घनश्याम नागर, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री दयानन्द राठोर के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 65/2022 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2025 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 16.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मुरलीधर प्रतिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कोटा